

प्राचार्य का कार्यालय: श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
ज्ञापांक-----/ मुज0, दिनांक-----/
कार्यालय आदेश

एद्द द्वारा संसूचित किया जाता है कि इस संस्थान के आवासीय परिसर में रह रहे छात्र/छात्राओं को जिनको प्राधिकारण के द्वारा हॉस्टल आवंटित है वह उसी हॉस्टल में रहे अगर आपसी समन्यवय से एक दूसरे के हॉस्टल में रह रहें वह अपने हॉस्टल में तत्क्षण बदलाव कर अपने आवंटित हॉस्टल में आवासित कर लें। साथ ही जो विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में स्थायी व्यवस्था अन्तर्गत आवासित कर रह रहें हैं। सभी लोग समुहिक रूप से 72 घंटे के अन्दर आवासीय परिसर को खाली कर दें। अन्यथा विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी। इस संबंध में जिला अधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक से सहयोग माँगा गया है।

ह0/-

(डा0 प्रो0) आभा रानी सिन्हा

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,

मुजफ्फरपुर।

मुज0, दिनांक: 02/11/23-----/

ज्ञापांक: 1494/23-----/

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- Anti Ragging Helpline, University Grand Commission Net Bureau

Helpline <helpline@antiragging.in> को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- Deputy Secretary PGMEB and Member Secretary Anti Ragging committee National Medical Commission, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी विभागध्यक्ष/सभी मुख्य वार्डन/वार्डन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन/ई-स्टेट ऑफिसर/डा0 दिनेश साह, सह प्राध्यापक, फार्माकॉलौजी विभाग/बरसर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई.टी. सेक्शन/सूचना पट, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

Abba Rani Sinha
2/11/23.

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।